न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमरदीन खान,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्याः 213/2021 (पुराने संख्या 42/2019)

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र सिंह उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम इकतावरपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

———

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को राजसात करने बाबत।

———

उपस्थित : —

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि — प्रार्थी की ओरसे।
2. श्रीउम्मेदराज सैनी, एडवोकेट — अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः— 15.11.2021

न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू के यहां दर्ज अपील संख्या 55/2021 (CIS No. 55/2021) में निर्णय दिनांक 08.10.2021 की प्रति मय इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 42/2021 के प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.2021 द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 42/2021 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ इस न्यायालय को लौटाया है कि प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक चिडावा के पद पर पदस्थापित है जो लोकसेवक की श्रेणी में आता है। दिनांक 07.03.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री महेन्द्र सिंह इकतावरपुरा तहसील चिडावा का प्राधिकार पत्र संख्या 347/93, पोस मशीन संख्या 10824 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर श्री नरेश सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह शेखावत उचित मूल्य दुकानदार इकतावरपुरा का पुत्र वितरण करते पाया गया जिसने स्वयं अपनी उपस्थिति में जांच करवाई। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन करना नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर दिनांक 02.02.2021 तक ही संधारण करना पाया गया जिसके कारण स्टॉक की गणना उचित मूल्य दुकान की पोसमशीन संख्या 10824 में दर्ज स्टॉक के आधार पर की गई। वक्त जांच पोस मशीन संख्या 10824 मे गेंहू स्टेट योजना

के 32 किलोग्राम, गेहूं अतिरिक्त योजना के 674 किलोग्राम, गेहूं बीपीएल योजना के 527 किलोग्राम एवं गेहूं एपीएल योजना के 5973 किलो ग्राम दर्ज पाये गये। इस प्रकार वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर गेहूं का कुल स्टॉक 7206 किलो ग्राम दर्ज पाया गया। वक्त जांच भौतिक सत्यापन में गेहूं के भारतीय खाद्य निगम की छापवाले 193 कट्टो में वजन करने पर कुल 9650 किलोग्राम गेहूं भौतिक रूप से पाई गई जो वांछित स्टॉक से 2444 किलोग्राम अधिक पाई गई। जिसके बारे में पूछने पर श्री नरेश सिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया। बिन्दू संख्या 1 से 6 के तथ्यों के आधार पर मौके पर वांछित स्टॉक से अधिक पाये गये 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना के स्टॉक को राजहित मे जब्त कर सुपुर्दगी नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार श्री जयनारायण सिंह केहरपुरा तहसील चिडावा को दी गई ताकि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी न की जा सके। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उपर्युक्त 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि गेहूं एक जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री है अतः उक्त गेहूं का अंतरिम आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 07.03.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री महेन्द्र सिंह इकतावरपुरा तहसील चिडावा का प्राधिकार पत्र संख्या 347/93, पोसमशीन संख्या 10824 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन करना नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर दिनांक 02.02.2021 तक ही संधारण करना पाया गया जिसके कारण स्टॉक की गणना उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन संख्या 10824 में दर्ज स्टॉक के आधार पर की गई। वक्त जांच पोस मशीन संख्या 10824 में दर्ज गेहूं से भौतिक सत्यापन मे 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाया गया। जिसके बारे मे पूछने पर श्री नरेश सिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया। उक्त गेहूं उचित मूल्य दुकान मे अवैध भण्डारण की श्रेणी में आता है। कोई भी उपभोक्ता राशन कार्ड मे प्रविष्टि कराने व पोश मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद दुकान पर राशन सामग्री छोडकर नही जाता है। अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं की प्रस्तुत सूची फर्जी व झूठी है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.2021 द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 42/2021 जो कि अब प्रकरण संख्या 213/2021 के रूप में दर्ज किया गया है में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 को अपास्त कर प्रकरण इन आदेशों के साथ इस न्यायालय को लौटाया है कि प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत् आदेश पारित करें। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी की कोई शिकायत नही है। दिनांक 07.03.2021 को अप्रार्थी बीमार होने से अस्पताल चिकित्सक को दिखने अस्पताल गया हुआ था एवं अपने पुत्र को दुकान पर केवल देखभाल के लिए छोडकर गया था। दुकान का निरीक्षण उचित रूप से नही किया गया है क्योंकि अप्रार्थी उस वक्त दुकान पर नही था। अप्रार्थी को उक्त निरीक्षण के बारे मे किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नही दिया गया है। अप्रार्थी का पुत्र स्टॉक एवं वितरण के बारे

मे कुछ नही जानता है। अप्रार्थी द्वारा कोई गेहूं ब्लेक नही किया गया है। अप्रार्थी की दुकान पर उपभोक्ताओं का वितरित गेहूं पडा हुआ था जिसकी सूची प्रस्तुत है। उक्त अधिक गेहूं उपभोक्ता पोश मशीन पर अंगूठा लगाकर एवं राशनकार्ड में प्रविष्टि करवाकर छोडकर लावणी करने हेतु चले गये थे। वक्त जांच स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नही की गई। अप्रार्थी के राशन वितरण से ग्रामवासी एवं सरपंच संतुष्ट है। प्रकरण में छोटी तकनीकि गलती की इतनी बडी सजा अप्रार्थी को नही दी सकती है। अप्रार्थी ने कोई गबन नही किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा जप्त शुदामाल अप्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू के निर्णय दिनांक 08.10.2021 में दिये गये निर्देशों पर भी मनन किया। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक चिड़ावा द्वारा दिनांक 07.03.2021 को अप्रार्थी महेन्द्र सिहं उचित मूल्य दुकानदार इकतावरपुरा के निरीक्षण के दौरान स्टोक में 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये जाने पर गेहूं को जप्त किया गया था।

1. न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने अपने आदेश दिनांक 08.10.2021 में अंकित किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया है, जबकि प्रकरण का अंतरिम निस्तारण किया जाना चाहिए था। न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश में अंतिम तथा अंतरिम आदेश की बाबत कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। इस अंतिम तथा अंतरिम आदेश के संशय को सुलझाना आवश्यक है।
2. प्रकरण में न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम आदेश किये जाने अंकन किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दुओं तथा तथ्यों का पुनः परिक्षण किया गया। जप्त किया गया गेहूं खाद्य सामग्री है, जिसकी गुणवता बनी रहना आवश्यक है इसी के साथ गेहूं मूल्यवान वस्तु भी है। ऐसे में हम जप्त किये गये गेहूं का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देश किया जाता है कि वह उक्त जप्त किये गये गेहूं 2444 किलोग्राम का नियमानुसार अंतरिम निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं